95

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–2
संख्याः /XVIII(II)/2014–20(01)/2014
देहरादूनः दिनांकः २९ जून, 2014

कार्यालय ज्ञाप

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की व्यवस्था को समाप्त करते हुए भारत सरकार द्वारा नया **भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013** प्रख्यापित किया गया है।

2– अतः उक्त भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–7 में अर्न्तनिहित प्राविधानों के अन्तर्गत सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट के विशलेषण के लिए प्रत्येक जिले में विशेषज्ञ समूह का गठन हेतु निम्नवत् समिति का गठन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1.	सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी –	अध्यक्ष
2.	सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत प्रमुख –	सदस्य
3.	जिलाधिकारी द्वारा नामित दो सामाजिक विज्ञानी –	सदस्य
4.	सम्बन्धित जिला पंचायत सदस्य –	सदस्य
5.	सम्बन्धित मुख्य नगर अधिकारी या कार्यकारी अधिकारी नगर पालिका/नगरनिगम –	सदस्य
6.	परियोजना से सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के जिला स्तर का अधिकारी –	सदस्य
7.	सम्बन्धित जिले के किसी महाविद्यालय या तकनीकी शिक्षण संस्थान आदि से जिलाधिकारी द्वारा नामित पुर्नविस्थापन सम्बन्धी दो विशेषज्ञ –	सदस्य

उपरोक्त समिति अपनी संस्तुतियां समुचित प्रकाशन एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

(भास्करानन्द)
सचिव।

संख्या-1836(1)/XVIII(II)/2014 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. आयुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक,सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर,देहरादून/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(संतोष बडोनी)
उप सचिव।